

समाचार-प्रकाशनार्थ:-

शहर को कचरा और प्लास्टिक मुक्त बनाने में सहयोग करे
स्वच्छ सर्वेक्षण-2021 के तहत जवाहर स्कूल में आयोजित स्वच्छता
जागरूकता कार्यक्रम के तहत निगम आयुक्त ने छात्र-छात्राओं से कया आव्हान
रतलाम 20 फरवरी । शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने की पहल हर तरफ
जारी है और हम तेजी से प्रयास कर रहे हैं क स्वच्छ सर्वेक्षण-2021 की रैं कग
में रतलाम नगर पूरे देश में प्रथम आए। शहर में अस्वच्छता का सबसे बड़ा
कारण इधर उधर फेका जाने वाला कचरा है इसके साथ ही अमानक प्लास्टिक
के कारण भी नाले-ना लयों का बहाव कम होकर वे अक्सर जाम हो जाते हैं।
सफाई को लेकर नगर निगम जहां एक और अपना काम कर रहा है वही लोगों
को जागरूक करने के लिए व भन्न संस्थाएं जुडी हुई हैं इसी तरह अमानक
प्लास्टिक रखने वालों पर कार्रवाई के लिए भी अभियान शुरू हो चुका है। हम
यही चाहते हैं क इन दोनों अभियानों में प्रत्येक नागरिक विशेषकर युवाओं का
सहयोग मिलता रहे।

शनिवार को शहर के वीरियाखेडी स्थित जवाहर उ.मा. ल में स्वच्छता
जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिसमें स्वच्छता संदेश से जुड़े
कार्यक्रमों और स्पर्धाओं में सभी ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इस मौके पर
निकले जागरूकता रैली में नारे लगाए गए क नया सवैरा लाएंगे और रतलाम
को स्वच्छ बनाएंगें।

कार्यक्रम के दौरान नगर निगम आयुक्त श्रीसोमनाथ झारियाए स्वास्थ्य
अधिकारी एपी सिंहए एमके जैनए स्कूल प्राचार्य अनिता सागर आदि मौजूद रहे।
इस मौके पर श्री सोमनाथ झारिया ने फीडबैक से जुड़े सवाल-जवाबों से भी
छात्र-छात्राओं को अवगत कराते हुए सकारात्मक भाव से इसका उपयोग करने
की अपील की है। उन्होंने कहा क स्वच्छता का महत्व समझाते हुए कहा क
स्वच्छ सर्वेक्षण में हर नागरिक की हिस्सेदारी होगी तभी स्वच्छता की दौड़ में
रतलाम नम्बर-1 बनेगा। अतिथियों का स्वागत माधुरी फडनीसए शवानी
डामरए कमल सिंहए ज्योति शर्मा और अशोककुमार खत्री व अनिल पांचाल ने

क्या।कार्यक्रम का संचालन मथलेश कुमार मश्र ने क्या वही आभार राजेन्द्र सिंह राठोर ने माना।

करिश्मा और फजा अक्वल रही

जवाहर उ.मा. व. में स्वच्छ रतलामए स्वस्थ रतलाम की थीम पर आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान रांगोलीए क्विजए मेंहदीए भाषणए चत्रकला सहित आधा दर्जन प्रतियो गताएं आयोजित की गईं।

यहां रांगोली प्रतियो गता के दौरान फजा मेवए चेतना प्रजापतए कर्ती और कु.नाजनीन को पुरुस्कृत क्या गया। इसी तरह निबंध प्रतियो गता में दीनदयालए शवानीए र व वर्माए कु.शमीमए मेंहदी स्पर्धा में करिश्माए नाजनीनए कीर्ति और कु.शमीम ने बाजी मारी। इसी तरह चत्रकला स्पर्धा में रसला मईडाए वर्षा सौलकीए मो.अनस और ऋतु डो डयार अक्वल रहे इन सभी सफल हुए प्रतियो गतों को अति थयों ने उपहार और सम्मान पत्र देकर पुरुस्कृत क्या है।

आयोजित व भन्न प्रतियो गताओं में निर्णायक की भूमका ऋषराज चौहानए आशा शर्माए माधुरी फडनीसए आरती त्रिवेदीए वंदना वर्माए मथलेश मश्रएधर्मा कोठारी वनिता जैन ने निभाई।

जुलवानिया टे^a चंग ग्राउण्ड का निगम आयुक्त श्री झारिया ने क्या निरीक्षण रतलाम 20 फरवरी । जुलवानिया टे^a चंग ग्राउण्ड पर कचरा पृथक्कीकरण व खाद् बनाने के कार्य का निरीक्षण निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने निगम अधिकारियों के साथ कर आवश्यक दिशा निर्देश संबंधतों को दिये।

निरीक्षण के दौरान निगम आयुक्त श्री झारिया ने कचरा पृथक्कीकरण की फटका एवं बैलंग मशीन का निरीक्षण कर निर्देशत क्या क कचरा पृथक्कीकरण के कार्य में गति लाये जाये। इसके अलावा निगम आयुक्त श्री झारिया ने भूम के समतलीकरण के निर्देश संबंधत को दिये।

इसके अलावा उन्होंने घर-घर से पृथक-पृथक कचरे एकत्रित कर लाये जा रहे कचरे का अवलोकन कर ड्रायवर व क्लीनर को निर्देशत क्या क वे प्रत्येक घर से पृथक-पृथक कचरा एकत्रित करें साथ ही नागरिकों को समझाईश दें क वे चार प्रकार के कचरे के लये अपने घरों में चार कचरा पात्र अनिवार्य रूप से

रखकर पृथक-पृथक कचरे को निगम के कचरा संग्रहण वाहन में पृथक-पृथक डालें। साथ ही नागरिकों को यह भी समझाईश दें क वे गीले कचरे से खाद बनाकर अपने उद्यान एवं गमलों में बनी हुई खाद का उपयोग कर नगर को साफ-स्वच्छ रखने के साथ पर्यावरण सुधार में अपना अमूल्य योगदान दे।

निरीक्षण के दौरान निगम आयुक्त श्री झारिया ने टे^३ चंग ग्राउण्ड में गीले कचरे से बनाई जा रही खाद के कार्य का अवलोकन कर कार्य में तेजी लाने के निर्देश संबंधित को दिये।

इस अवसर पर कार्यपालन यंत्री श्री सुरेशचन्द्र व्यास ए प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए.पी. सिंह सहयक यंत्री श्री एम.के. जैन ए उपयंत्री श्री राजेश पाटीदार ए श्री मनीष तिवारी आदि उपस्थित थे।

नगर निगम तिराहे से हटाया अतिक्रमण

अतिक्रमण सामग्री जब्त कर चार दुकानदारों पर कया जुर्माना

रतलाम 20 फरवरी । नगर तिराहे पर दुकानदारों द्वारा अवैध रूप से बनाये गये छज्जे ए अवैध गुमटी व दुकान के बाहर सामान रखकर अतिक्रमण करने पर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशन व पु लस प्रशासन की उपस्थिति में अतिक्रमण को हटाया जाकर दुकानदारों पर जुर्माना कया गया।

नगर निगम तिराहे के सामने दुकानदारों द्वारा अवैध रूप से छज्जे निकाले हुए थे साथ ही अवैध गुमटी भी लगाई हुई थी इसके अलावा अपनी दुकान के बाहर सामग्री रखकर अतिक्रमण करने से यातायात प्रभावित होने से निगम आयुक्त श्री झारिया के निर्देशन में अतिक्रमण को हटाया जाकर संबंधित दुकानदारों पर जुर्माना भी कया गया।

अतिक्रमण करने पर इरफान खान पंचर वाला ए शकील खान अण्डे वाला ए वरेन्द्र सिंह चायवाला व वाहीद खान ऑटो गैरेज पर 1000.1000 का जुर्माना कर भ वष्य में अतिक्रमण ना करने की समझाईश दी।

उक्त कार्यवाही के दौरान कार्यपालन यंत्री श्री सुरेशचन्द्र व्यास ए श्री जी.के. जायसवाल ए स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए.पी. सिंह ए उपयंत्री श्री राजेश पाटीदार ए राजस्व उप निरीक्षक श्री हरीश मश्रा आदि उपस्थित थे।

50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन उपयोग प्रतिबंधित

उपयोग व भण्डारण पर होगी जब्ती व लगेगा दण्ड

13 फुटकर व्यवसायियों से 10 कलो पॉलीथीन जब्त कर कया जुर्माना रतलाम 20 फरवरी । षासन निर्देशानुसार नगरीय क्षेत्र रतलाम में 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन व प्लास्टिक उपयोग प्रतिबंधित कया गया है।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया क नगरीय क्षेत्र रतलाम में सब्जीए फल-फुरट व अन्य सामग्री के फुटकर व्यवसायी अगर 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन का उपयोग करते हैं तो उन पर 50 रूपये का अर्थदण्ड कया जाकर पॉलीथीन जब्ती की कार्यवाही की जायेगी। इसी तरह दुकानदारो द्वारा 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन का उपयोग व भण्डारण करता है तो उस पर 5000₹ रूपये का अर्थदण्ड कया जाकर पॉलीथीन जब्ती की कार्यवाही की जायेगी।

नगर निगम के स्पॉट फाईन दल द्वारा छत्रीपुल व दो बत्ती क्षेत्र में दुकानदारों व सब्जी वक्रेताओं द्वारा 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन उपयोग करने पर जैन कराना स्टोर दो बत्ती पर 200₹ अगम जरनल स्टोर दो बत्ती पर 100₹ इरफानए ईस्माईलए संजूए नानीबाईए भुराए दो बत्तीए बाजेरामए चन्द्रप्रकाषए सुगनाए नवकन्याए सुगनाबाईए सीताबाई छत्रीपुल से लगभग 10 कलो पॉलीथीन जब्त कर 50.50 रूपये का जुर्माना कर भ वश्य में 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन उपयोग ना करने की समझाईष दी।

नगर के नागरिकए दुकानदार व फुटकर व्यापारियों से अपील की जाती है क वे 50 माईक्रॉन से कम मोटाई वाली पॉलीथीन व प्लास्टिक का उपयोग व भण्डारण ना करें।

जुर्माने की कार्यवाही प्रभारी स्वास्थ्य अ धकारी श्री ए.पी. संहए झोन प्रभारी श्री करण चौहान व श्री पर्वत हाडेए उप स्वच्छता निरीक्षक श्री जय उपाध्याय आदि के द्वारा की गई। गंदगी व मलबा फैलानेए अतिक्रमण करने पर संबंधितों के वरूद्ध जुर्माना कये जाने का अ भयान निरंतर जारी रहेगा।

वार्ड में गंदगी पाई गई तो झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षक के वरूद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 20 फरवरी । स्वच्छ सर्वेक्षण-2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर-1 बनाने हेतु नगर निगम दृढ़ संकल्पित है जिसके तहत वार्डों की सड़कें गलीएँ सार्वजनिक स्थलएँ नाले-नालियों आदि समुचित सफाई हेतु झोन प्रभारीएँ वार्ड दरोगा व वार्ड के सफाई संरक्षक पाबंद हैं। वार्डों में गंदगीएँ कचरे के ढेरएँ नाले-नालियों में कचरा पाये जाने पर संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

वार्डों की समुचित साफ-सफाई का दायित्व झोन प्रभारीएँ वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षकों का दायित्व है वे अपने कर्तव्य का निर्वहन पुरी निश्ठा एवं ईमानदारी करें यदि वार्डों में साफ-सफाई नहीं पाई जाती है तो संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

बोहरा बाखल में सोमवार को लगेगा निगम का बकाया वसूली शहर नागरिकों ने 32ए68ए144६ संपत्तिकर व 7ए13ए535६ जलकर जमा कराया रतलाम 20 फरवरी । नागरिकों की सुवधा को ध्यान में रखते हुए निगम से संबंधित करों को जमा कराने हेतु वार्ड वार बकाया वसूली षवर 18 जनवरी से आयोजित कये गये हैं जो 27 मार्च तक चलेंगे।

आयोजित षवरों में नागरिक नगर निगम की बकाया संपत्तिकरणएँ जलकरएँ दुकानएँ गुमटी करायाएँ लायसेंस शुल्क एवं विकास शाखा से संबंधित भवन की कष्ट तथा भू-भाटक की बकाया राष जमा करा सकेगें।

निगम द्वारा आयोजित षवरों में नागरिकों ने उत्साह दिखाते हुए गांधीनगर षवर में संपत्तिकर 1ए10ए000६ व जलकर 6ए000६ए मालवा नगर लक्ष्मणपुरा षवर में संपत्तिकर 1ए40ए000६ व जलकर 55ए775६ए अम्बे माता जवाहर नगर ष्विर्ि में संपत्तिकर 2ए38ए000६ व जलकर 49ए010६ए वनोबा नगर षवर में संपत्तिकर 1ए29ए000६ व जलकर 43ए670६ए अलकापुरी कम्यूनिटी हॉल षवर में संपत्तिकर 1ए22000६ व जलकर 29ए280६ए तिरूपति षवर में संपत्तिकर 77ए000६ व जलकर 19ए850६ए कोमल नगर षवर में संपत्तिकर 1ए27ए000६ व जलकर 48ए220६ए मार्निंग स्टार स्कूल षवर में संपत्तिकर 1ए12ए000६ व जलकर 14ए000६ ए कस्तुरबा नगर षवर में संपत्तिकर 5ए47ए000६ व जलकर 86ए540६ए प्रयदर्षनी नगर षवर में संपत्तिकर 1ए02ए000६ व जलकर 3ए76ए905६ए डोंगरे नगर षवर

में संपत्तिकर 1ए82ए500६ व जलकर 76ए470६ए हाट रोड ष वर में संपत्तिकर 68ए000६ व जलकर 47ए595६ए कलीमी कालोनी ष वर में संपत्तिकर 1ए17ए000६ व जलकर 22ए680६ए राजेन्द्र नगर ष वर में संपत्तिकर 1ए01ए644६ व जलकर 55ए320६ए काटजू नगर ष वर में संपत्तिकर 2ए76ए000६ व जलकर 59ए500६ए वेदव्यास कालोनी ष वर में संपत्तिकर 26ए62ए144६ व जलकर 6ए71ए025६ए कल्याण नगर ष वर में संपत्तिकर 71ए000६ व जलकर 19ए000६ए दीनदयाल नगर ष वर में संपत्तिकर 2ए47ए000६ व जलकर 64ए780६ए बोहरा बाखल ष वर में संपत्तिकर 2ए88ए000६ व जलकर 35ए730६ की रा ष जमा कराई। इस तरह नागरिकांे ने अब तक आयोजित ष वरों मेें 32ए68ए144६ संपत्तिकर व 7ए13ए535६ जलकर की रा ष जमा कराई।

वार्ड वार आयोजित कये गये वसूली ष वरो के अंतर्गत वार्ड क्रमांक 44 व 23 के लये 22 फरवरी को बोहरा बाखलए वार्ड क्रमांक 23 व 44 के लये 23 फरवरी को रामगढ़ए वार्ड क्रमांक 21 व 45 के लये 24 से 25 फरवरी तक लक्कड़पीठा प्यारु के पासए वार्ड क्रमांक 48 व 49 के लये 26 फरवरी व 1 मार्च को आर्य समाज मंदिर धानमण्डीए वार्ड क्रमांक 40 व 41 के लये 2 मार्च को जूनी कोर्ट करण टॉ कजए वार्ड क्रमांक 28ए 29ए 36ए 37 व 38 के लये 3 से 4 मार्च को लॉ कॉलेज आनंद कालोनीए वार्ड क्रमांक 28 के लये 5 मार्च को प्रताप नगर उद्यान के पासए वार्ड क्रमांक 13 के लये 6 मार्च को महावीर नगरए वार्ड क्रमांक 39ए 40 व 41 के लये 8 से 9 मार्च तक पैलेस रोड तिराहाए वार्ड क्रमांक 25ए 26 व 27 के लये 10 मार्च को चौगानिया भेरूए वार्ड क्रमांक 24ए 25 व 42 के लये 12 व 15 मार्च को षक्षा वभाग सायर चबुतराए वार्ड क्रमांक 43 व 45 के लये 16 व 17 मार्च तक चौमुखीपुल प्यारु के पासए वार्ड क्रमांक 41 के लये 18 से 19 मार्च तक बजाजखाना गणेष देवरीए वार्ड क्रमांक 33ए 34 व 35 के लये 20 व 22 मार्च को षास्त्री नगर सेंट्रल बैंक के पासए वार्ड क्रमांक 33 व 34 के लये 23 से 24 मार्च तक दो बत्ती चौराहाए वार्ड क्रमांक 30ए 31ए 32 व 34 के लये 25 से 26 मार्च तक स्टेशन रोड दिलबहार चौराहा व वार्ड क्रमांक 16 व 17 के लये 27 मार्च को टाटा नगर में कार्यालयीन समय में ष वर आयोजित कये गये है।

निगम द्वारा जारी अपील में नागरिकों से अनुरोध किया गया है कि निगम द्वारा उक्त षवर बकायादारों की सुवधा के लिए आयोजित किये गये हैं इन आयोजित षवरों में बकायादार अपनी बकाया राशि जमा कर निगम को सहयोग प्रदान करें।

स्वच्छंद वचरण करने वाले मवेशियों को रात्रि में भी पकड़ा जायेगा

669 मवेशियों को पकड़कर गौशालाओं में भेजा

रतलाम 20 फरवरी । रतलाम नगर को साफ-स्वच्छ व सुन्दर बनाने हेतु नगर निगम द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर सड़को चौराहों पर स्वच्छंद वचरण करने वाले मवेशियों को दिन में पकड़े जाने के साथ ही निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार निगम के स्वास्थ्य विभाग अमले द्वारा अब रात्री में भी मवेशियों को पकड़ा जायेगा क्योंकि मवेशी पालकों द्वारा दिन में मवेशियों को बांधकर रखा जाता है तथा रात्रि में खुला छोड़ दिया जाता है जिससे शहर में गंदगी होती है।

कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालक निगम रतलाम श्री गोपालचन्द्र डाड व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार स्वास्थ्य अमले द्वारा 13 अक्टूबर से अभियान चलाया गया तथा 20 फरवरी तक शहर के विभिन्न क्षेत्रों से 669 मवेशियों को पकड़ा जाकर जिले की विभिन्न गौशालाओं में भेजा गया। अभियान के तहत 20 फरवरी को वनोबा नगर पानी की टंकी के पास व जवाहर नगर मुक्तिधाम से 2 मवेशी निगम के स्वास्थ्य विभाग के अमले द्वारा पकड़े गये।

शहर के सार्वजनिक स्थानों पर सड़को चौराहों को मवेशी मुक्त बनाये जाने हेतु नगर निगम द्वारा शहर के मवेशी पालकों के बाड़े एवं तबेलों को अभियान चलाकर तोड़ा जायेगा इस हेतु निगम द्वारा नगर के सभी मवेशी पालकों को नोटिस जारी किया गया है। शहरी क्षेत्र में मवेशियों का पालन करना नियम विपरित है ऐसे मवेशी पालक जो कि शहरी क्षेत्र में अनुमति के विपरित तबेले एवं बाड़ों का निर्माण कर मवेशियों का पालन किया जा रहा है वे स्वयं अपने तबेले एवं बाड़े नहीं तोड़ते हैं तो निगम द्वारा उन्हें तोड़ा जाकर राशि वसूल की जायेगी।

नगर निगम एक्ट की धारा 358 के तहत कोई भी व्यक्ति जो क अपना घोड़ा या अन्य कसी भी पशु को अपनी इच्छा से खुला छोड़ेगा व उससे कसी व्यक्ति या संपत्ति को नुकसान पहुंचता है तो पालक पर 500 रुपये का अर्थदण्ड कये जाने का प्रावधान हैं। निगम एक्ट के तहत अब स्वच्छंद वचरण करने वाले मवेशी पालकों के घर जाकर निगम दस्ता अर्थदण्ड रा श रुपये 500६ वसूल करेगा स्वच्छंद रूप से वचरण करने वाले मवेशियों को पकड़ने की कार्यवाही प्रभारी स्वास्थ्य अ धकारी श्री ए०पी० संहए झोन प्रभारी श्री करण चौहानए श्री पर्वत हाड़े व स्वास्थ्य वभाग के अमले द्वारा की गई।

निगम द्वारा युद्ध स्तर पर कये जा रहे हैं लीकेज दुरस्त

121 दिनों में 147 वॉल्व व 844 पाईप लीकेज दुरस्ती का कार्य पूर्ण

रतलाम 20 फरवरी । शहर की जलप्रदाय व्यवस्था को निरंतर बनाये रखने तथा जलप्रदाय व्यवस्था को ओर अ धक सुदृढ बनाये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार पाईप लाईन व वॉल्व लीकेज दुरस्त करने का कार्य जलप्रदाय वभाग द्वारा 23 अक्टूबर से प्रारंभ कया गया जिसके तहत 20 फरवरी तक 147 वॉल्व व 844 पाईप लाईन लीकेजों को दुरस्त कया जा चुका है।

‘ ‘रतलाम जलशक्ति अभियान’ ’ व्हाट्स एप ग्रुप में लीकेज की समस्या को अपलोड कया जा रहा है तथा अपलोड की गई लीकेज संबंधी समस्या का तत्काल निराकरण करवाया जा रहा है जिसके तहत 20 फरवरी शनिवार को सैलाना रोड साक्षी पेट्रोल पम्प के पासए महेश नगरए मोती नगरए सज्जन मल रोडए टैंकर रोडए महावीर नगर टंकी के पासए थावरिया बाजार रामदेवजी वाली गलीए प्रताप नगरए हाकमवाड़ा व महालक्ष्मी नगर में पाईप लाईन लीकेज दुरस्त कये गये।

उक्त कार्यवाही कार्यपालन यंत्री श्री सुरेशचन्द्र व्यासए जलप्रदाय वभाग प्रभारी श्री सत्यप्रकाश आचार्यए उपयंत्री श्री सुहास पंडतए श्री भैयालाल चौधरी के अलावा श्री नीरज यादवए श्री देवेन्द्र पवारं आदि के निर्देशन में की गई।

गीले एवं सूखे कचरे के पृथक्कीकरण की दी समझाईश स्वच्छता के लये नगरिक दे रहे हैं फीडबैक

रतलाम 20 फरवरी । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया द्वारा दिये गये निर्देशानुसार नगर के समस्त घरोंए दुकानों आदि से 100 प्रतिशत गीला एवं सूखा कचरा पृथक-पृथक संग्रहित कये जाने हेतु नगर निगम की सहयोगी संस्था टीम आस्था के सदस्यों द्वारा नगर के व भन्न क्षेत्रों में जाकर नागरिकों को स्वच्छता बनाये रखने गीला व सूखा कचरा पृथक-पृथक रखने की समझाईश दी जा रही है।

नगर निगम की सहयोगी संस्था टीम डवाईन के सदस्यों द्वारा नगर के व भन्न क्षेत्रों में जाकर नागरिकों को गीले एवं सूखे कचरे के पृथक्कीकरण हेतु घरों एवं दुकानों में पृथक-पृथक कचरा पात्र रखकर पृथक-पृथक कचरा एकत्रिकरण व गीले एवं सूखे कचरे को निगम के कचरा संग्रहण वाहन के पृथक-पृथक भागों में डालने की समझाईश दी साथ ही नागरिकों से स्वच्छता हेतु स्वच्छता एप पर सटीजन फीडबैक लया।

सफाई संबंधी शकायत दर्ज कराने हेतु नागरिक स्वच्छता एप का उपयोग करें रतलाम 20 फरवरी । रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर 1 बनाने हेतु कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालक निगम रतलाम श्री गोपालचन्द्र डाडए निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार स्वच्छ भारत मशन के तहत सफाई संबंधी शकायत दर्ज कराने के लये भारत सरकार द्वारा तैयार कये गये स्वच्छता एप की जानकारी निगमकर्मियों व नगर निगम की सहयोगी संस्था आस्था के सदस्यों ने शहर के व भन्न क्षेत्रों में नागरिकों को दी।

स्वच्छ भारत मशन के तहत कये जा रहे स्वच्छता सर्वेक्षण-2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर 1 बनाने के लये रतलाम नगर के नागरिक सफाई संबंधी शकायत स्वच्छता एप दर्ज कराने के लये अपने एन्ड्रॉयड मोबाईल पर गूगल प्ले स्टोर में जाकर स्वच्छता एप टाईप करेंए उसके पश्चात एप को इन्सटाल करें। इन्सटाल करने के बाद एप्लीकेशन ओपन करके अपना मोबाईल नम्बर रजिस्टर्ड करें। इसके बाद अपना जीपीएस ऑन करें इसके बाद आपकी सफाई संबंधी शकायत का फोटो लेकर अपलोड करें।

अपलोड की गई शिकायत नगर निगम के पास आयेगी ओर उसका तत्काल निराकरण किया जायेगा।

कचरा पृथक्कीकरण हेतु नागरिक एवं दुकानदारों को रखना होंगे 4 डस्टबीन खुले में कचरा डालने व गंदगी करने वालो पर सीसीटीवी से रखी जा रही है निगरानी

अतिक्रमण व गंदगी करने पर होगा जुर्माना

रतलाम 20 फरवरी । नगरीय क्षेत्र रतलाम के दुकानदार एवं नागरिक जो क अपनी दुकानों एवं घरों में ठोस अप शष्ट प्रबंधन नियम 2016 के तहत कचरा पृथक्कीकरण हेतु 4 डस्टबीन नहीं रख रहे है व दुकानों के सामने गंदगी व अतिक्रमण कर रहे उन पर निगम के स्वास्थ्य अमले द्वारा जुर्माने की कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है।

नगरीय क्षेत्र रतलाम के दुकानदार अपनी दुकानों में गीले कचरे अर्थात कीचन में बनी हुई खाद्य सामग्रीए फल-सब्जी के छिलकेए घांस व पेड़ की पत्तियांए राखए चाय पत्तीए बचा हुआ खाना आदि के लये हरा डस्टबीनए सूखा कचरा अर्थात पुस्ताए अखबारए लोहाए कपड़ाए शालए कांचए पै कंग मटेरियलए टुटे खलौनेए प्लास्टिक आदि के लये नीला डस्टबीनए घरेलू हानिकार कचरे के लये पेन्ट के डब्बेए पेस्टीसाइड के डब्बेए सीएफएलए ट्यूबलाईटए थर्मामीटरए बैटरी आदि के लये काला डस्टबीन तथा मे डकल वेस्ट अर्थात् सेनेटरी नेपकीनए डायपरए सुईए संरिजए मास्कए ग्लब्सए पीपीई कीट आदि के लये पीला डस्टबीन रखकर अपने घरों एवं दुकानों तथा प्रतिष्ठानों में ही कचरे का पृथक्कीकरण कर निगम के कचरा संग्रहण वाहन के पृथक-पृथक भागों में डालकर कचरा पृथक्कीकरण कार्य में अपना सहयोग प्रदान करें। जो नागरिक या दुकानदार उक्तानुसार कचरे का पृथक्कीकरण नहीं करेगा व खुले में कचरा डालने वालो उन पर जुर्माने की कार्यवाही की जावेगी।

नागरिक एवं दुकानदार खुले में कचरा डालेंगे तो उन पर भी नगर निगम अमले द्वारा जुर्माने की कार्यवाही की जायेगी। नगर के व भन्न स्थानों पर लगे सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से खुले में कचरा डालने व गंदगी करने वालों

पर कन्ट्रोल रूम पर निगरानी रखी जा रही है। नगर निगम की टीम संबंधित के घर एवं दुकानों पर जाकर 5000.5000 हजार का जुर्माना करेगी।

समाचार/ज.सं. व. हेमन्त/20०2०2021धन.पा.निगमए रतलाम.